न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 09/2021

1. शंकरलाल पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी, जयपुर ।
2. कैलाश पुत्र महादेव जाति अहीर निवेासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी, जयपुर ।
3. श्योजी पुत्र महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी, जयपुर ।
4. गंगादेवी पत्नी महादेव जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी, जयपुर ।

(निगरानीकार)

बनाम

1. कजोड पुत्र भींवाराम जाति अहीर निवासी ग्राम मण्डोर, तहसील फागी, जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत मण्डोर, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर ।

(गैरनिगरानीकार)

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत मण्डोर, तहसील फागी, जिला जयपुर दिनांक 20.03.1989

उपस्थित :–

1.श्री उदयसिंह चौधरी विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की और से।

2 श्री भैरूलाल शर्मा विद्वान अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांक :– 16.03.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 तहत इस आशय की पेश की है कि ग्राम पंचायत मण्डोर, पंचायत समिति फागी, जिला जयपुर द्वारा कथित तौर पर एक पट्टा दिनांक 20.03.1989 को प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 05.03.1989 को जारी करना बताया गया है, जबकि वास्तव में उक्त दिनांक 05.03.1989 एवं 20.03.1989 को कोई पट्टा जारी होना पंचायत के रिकार्ड पर नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने एक वाद प्रार्थीगण के खिलाफ उक्त पट्टे के आधार पर बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय फागी, जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया, और निगरानीधीन पट्टे के अन्दर वर्णित सीमाऐं बताते हुए उक्त वाद में कहा कि पूर्व में सार्वजनिक आम रास्ता, पश्चिम में पडत भूमि

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

तत्पश्चात् महादेव का मकान, उत्तर दिशा में जयनारायण महादेव का कब्जाशुदा मकान व बाडा, दक्षिण में गोपाल रामेश्वर वगैरह का कब्जाशुदा बाडा। इस प्रकार कुल 400 वर्गगज का पट्टा होना बतलाया तथा उसपर अपना कब्जा होना बताया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 एवं उसके भाइयों तथा उसके पुत्रों एवं उनके लडकों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का उपरोक्त न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत कर रखा है। मौके की यथास्थिति के आदेश प्रसारित हुए है। पट्टा दिनांक 20.03.1989 के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 वाद लेकर आया था परन्तु वास्तव में उक्त दिनांक 20.03.1989 को कोई पट्टा ग्राम पचांयत मण्डोर द्वारा दिनांक 05.03.1989 को किसी भी संकल्प संख्या 9 के तहत जारी नहीं किया गया है। बल्कि प्रार्थीगण के पक्ष में मिसल संख्या 189 दिनांक 05.1.1991 को संकल्प सख्या 13 द्वारा पट्टा फीस जमा होकर दिनांक 05.02.1991 को पट्टा प्रार्थीगण के पक्ष में जारी किया गया है। अप्रार्थी का वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् प्रार्थीगण ने एक आवेदन श्री शंकरलाल यादव पुत्र महादेव की ओर से उपरोक्त पट्टा दिनांक 20.03.1989 की पत्रावली का पता करने के लिये प्रस्तुत कर दिनांक 05.03.1989 का रिकार्ड मांगा, परंतु सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत मण्डोर ने प्रमाण पत्र जारी करते हुए उक्त किसी भी प्रकार की मिसल किसी पट्टे की दिनांक 05.03.1989 को नहीं होने बाबत् अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी किया, जिसकी प्रति संलग्न है, जो दिनांक 20.01.2015 की है। प्रार्थीगण द्वारा पट्टा दिनांक 20.03.1989 की खोज करवायी परंतु वह हर प्रकार से उक्त पट्टे की नकल प्राप्त करने में असमर्थ रहे तथा उक्त फोटो प्रति पट्टा संख्या 7 दिनांक 20.03.1989 जो संकल्प संख्या 9 दिनांक 05.03.1989 को बतलाया जाता है कि उक्त फोटो प्रति प्रार्थीगण ने प्राप्त की है तथा उसी के आधार पर श्रीमान् के समक्ष यह निगरानी याचिका निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

यह कि पट्टा संख्या 7 दिनांक 20.03.1989 सरासर गैरकानूनी नियम विरूद्ध एवं बिला कब्जा एवं बिला क्षैत्राधिकार के तैयार किया एक अनुपयोगी प्रपत्र मात्र है, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ रिकार्ड पर मौजूद नहीं है इसलिये उक्त पट्टा संख्या 7 दिनांक 20.03.1989 निरस्त किये जाने योग्य है। पट्टा संख्या 7 दिनांक 20.03.1989 के अधीन दर्शायी गयी भूमि एवं प्रार्थीगण के हक में जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.02.1991 के अधीन जारी की गयी भूमि को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का पट्टा उनके पास वाली कब्जेशुदा भूमि का है जो कि पीढी दर पीढी पिछले 50 वर्षो से प्रार्थीगण के कब्जें में चली आ रही है और अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारीशुदा पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 अथवा उसके किसी फैमेली मैम्बर का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, ना ही उक्त भूमि उसने कभी काम मे ली है। इस प्रकार पट्टा संख्या 7 दिनांक 20.03.1989 सरासर बिना कब्जे के जारी किया गया पट्टा प्रपत्र है जो कि कब्जे व मौके के खिलाफ है और निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 के हक में जारी पट्टे का कोई रिकार्ड पंचायत में भी उपलब्ध नहीं है तथा उक्त दिनांक 05.03.1989 को लिया गया संकल्प संख्या 9 वास्तव में लिया ही नहीं गया और पट्टा फर्जी तौर पर तैयार किया गया है। सिविल कोर्ट में चल रहे वाद में मौका कमिश्नर की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रार्थीगण का कब्जा मौके पर बताया गया है। इसलिये अप्रार्थी के पक्ष में जारीशुदा पट्टा बिला कब्जा व मौके के विपरित है। विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टे की कोई मिसल आदि नहीं मिली तथा विपक्षी ने सिविल कोर्ट से अपना दावा भी नहीं उठाया तब प्रार्थीगण ने कानूनी सलाह के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहे है। निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जावें। अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी पट्टा प्रार्थीगण की सीमाओं को ओवरलेप करता है इसलिये कानूनन यह निगरानी प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरकानूनी रूप से जारी

अतिरिक्त जिला ...

Scanned with OKEN Scanner

संकल्प संख्या 09 दिनांक 05.03.1989 एवं पट्टा संख्या 7 दिनांक 20.03.1989 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से श्री भैरूलाल शर्मा व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से श्री विनोद कुमार जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया । दिनांक 16.02.2026 को निगरानीकार एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के वकील ने बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है, इसलिए मुताबिक राजीनामा निगरानी निगरानीकार स्वीकार की जावें।

हमने प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि निगरानीधीन पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.03.1989 के सम्बंध में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। लेकिन पत्रावली में संलग्न दस्तावेजत में पट्टे की जमा रसीद, पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 07 दिनांक 20.03.1989 की छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है। न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत मण्डोर से चाहे गये मूल रिकॉर्ड के संबंध में ग्राम पंचायत मण्डोर के पत्रांक एसपी1/2025–26 दिनांक 13.06.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि चाही गई सम्पूर्ण पत्रावली एवं पट्टा रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं होने से उक्त पत्रावली दिया जाना सम्भव नहीं है। चूंकी अन्य दस्तावेज जैसे रसीद बुक व पट्टा पत्रावली में संलग्न है जिसका पूरा हवाला ग्राम पंचायत मण्डोर ने नहीं दिया है। निगरानी में उल्लेखित पट्टे की वैद्यता को चुनौती दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः हम ग्राम पंचायत मण्डोर द्वारा जारी पट्टे में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति हस्ब कायदा ग्राम पंचायत मण्डोर को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, दूदू (राज.)

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू